

**M.P. PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD,
BHOPAL
I.R.T. - 2009**

• Starting Date of Online Submission	15.07.2009
• Last date of Online Submission	30.07.2009
• Date of Test	16.08.2009
• Test Fee	Rs.500/- + Rs.50/- (Online Service Charges)

TIME TABLE

Day and Date of Test	Test Starts	Distribution of Answer Sheet	Time for filling the required entries on the Answer Sheet	Distribution of Question Booklet	Time for Examining the Question Booklet	Time for Marking the Answers on the Answer Sheet
Sunday 16.08.2009	3.00 pm	3.00 pm	3.00 pm to 3.10 pm = 10 minutes	3.10 pm	3.10 pm to 3.15 pm = 5 minutes	3.15 pm to 5.15 pm = 2 Hours

NOTE :

- A candidate entering the examination hall after 15 minutes from the commencement of the test i.e. 3.15 pm shall not be permitted to take the test.
- The candidate must handover the marked OMR answer sheet to the invigilator before leaving the examination hall.
- Use of cellular/mobile phones, calculators, log tables, stray papers etc. is strictly prohibited.

अध्याय-1
कार्यालय, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश
अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक (सीधी भरती) के पद हेतु चयन परीक्षा-2009

चयन संबंधी अनुदेश

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक,19.09.2002 में प्राप्त अनुमति अनुसार मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक (सीधी भरती) पद पर चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2009 में ली जाने वाली परीक्षा हेतु निम्न निर्देश लागू होंगे :-

1 सामान्य :-

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक (सीधी भरती) पद पर चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा-2009 में आवेदन कर रहे हैं।

2. परिभाषाएँ :-

- अ. इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
ब. मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।
स. म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

3. वेतनमान :-

उक्त पद हेतु वेतनमान 4500-125-7000/- होगा।

4. पदों की संख्या :-

अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक (सीधी भरती) के पदों की संख्या/आरक्षण :

क्र.	श्रेणी	निल		अस्थिबाधित विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		अन्य		योग
		OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	
1.	अनारक्षित	09	04	-	-	-	-	-	-	13
2.	अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति	30	12	01	01	-	-	-	-	44
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	11	01	-	-	-	-	-	36
Total :-										93

5. शैक्षणिक योग्यता :-

अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक (सीधी भरती) पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा समाजशास्त्र विषय में से किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा समाजशास्त्र विषय में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

6. चयन का आधार :-

1	चयन हेतु निर्धारण	लिखित परीक्षा की निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार हेतु पात्रता होगी तथा चयन सूची दोनों प्राप्तांकों के योग से निर्धारित होगी ।
2.	न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक (1) लिखित परीक्षा (2) साक्षात्कार	100 अंकों की लिखित परीक्षा हो, जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनारक्षित वर्ग को लाना अनिवार्य होगा । 25 अंक का साक्षात्कार होगा
3	प्रावीण्य सूची/प्रतीक्षा सूची बनाने हेतु (लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का अधिभार)	प्राप्तांक सूची के लिखित एवं साक्षात्कार के अंकों पर आधारित होगी । 25 प्रतिशत प्रतिक्षा सूची तैयार की जायेगी ।

प्रश्न-पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रत्येक एक अंक के कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान 30 अंक, कम्प्यूटर ज्ञान 10 अंक, सांख्यिकी ज्ञान 20 अंक तथा विषय विशेष के 40 अंक होंगे। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा तथा प्रश्न-पत्र 2.00 घण्टे की अवधि का होगा।

7. प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों का विवरण :-

शासन के निर्देशानुसार :- अनु.जाति, अनु. जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्ह अंकों में 10 प्रतिशत छूट (निर्धारित न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक में 10 प्रतिशत की छूट) दी जावेगी । किन्तु उम्मीदवारों का चयन अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति के लिए बनाई गई चयन सूची में से मेरिट के आधार पर ही किया जावेगा ।

8. परीक्षा शहर :- भोपाल

9. यात्रा व्यय का भुगतान :-

अनु.जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को शासन के निर्देशानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति सुविधा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश द्वारा दी जायेगी ।

10. नियोक्ता की अनापत्ति :-

10.1 सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हो, अपने आवेदन-प्रपत्र मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही प्रस्तुत करें।

10.2 जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक पद पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को उनके नियोक्ता से उनके उक्त पद के लिए आवेदन करने, परीक्षा में बैठने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. मूल निवासी :-

आवेदक को भारतीय नागरिक व मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

12. आयु सीमा :-

आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2009 को 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
1.	ओपन	अनारक्षित	18 से 35 वर्ष (तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट = 38 वर्ष जो केवल शासकीय सेवक के लिये है)
2.	ओपन	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग	40 वर्ष
3.	महिला	अनारक्षित	35+10 = 45 वर्ष
4.	महिला	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग	35+5+10 = 50 वर्ष
5.	महिला-विधवा, परित्यक्ता तलाकशुदा	अनारक्षित	35+10+5 = 50 वर्ष
4.	महिला-विधवा, परित्यक्ता तलाकशुदा	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग	35+5+10+5 = 55 वर्ष

स्थाई/अस्थाई शासकीय सेवक की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :-

आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

14. अनर्हताएँ :-

- जो पुरुष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित हो।
- 26 जनवरी 2001 के बाद की उम्मीदवार की तीसरी संतान हो। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होंगे।

3. जिस आवेदक द्वारा :-

- पररूपण धार (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
- किसी व्यक्ति से पदरूपण धारण कराया हो-किया हो, या
- फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
- चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो, या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- चयन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
- परीक्षा में किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाए जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :-

- विभाग द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या
- उसे स्थायी रूप से विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा :-
- (क) विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (ख) राज्य शासन द्वारा या तथा उनके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा।
- (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो, तो उपरोक्त नियमों के कार्यवाही की परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि :-

- (अ) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ब) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।
- (स) प्रत्येक आवेदक से अपेक्षा है कि वह आवेदन-पत्र में सही जानकारी भरे। आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी को ही मना जाएगा एवं इस संदर्भ में आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

15. नियुक्ति की शर्तें :-

1. यह अस्थाई सेवा किसी भी समय एक माह का नोटिस उनके द्वारा नियुक्ति अधिकारी को देकर या नियुक्ति अधिकारी द्वारा उन्हें देकर समाप्त की जा सकती है। एक माह का नोटिस दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या उस अवधि का वेतन तथा भत्तों, जिसमें एक माह का समय कम पड़ता हो, देना होगा।
2. एक माह के भीतर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाते हैं, अथवा जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी एवं देय वेतन भत्ते इत्यादि की वसूली की जाएगी एवं नियमानुसार आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा।
4. नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 6 माह की अवधि के अन्दर स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

16. पारस्परिक मेरिट :-

उम्मीदवारों/आवेदकों को मेरिट लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों को एक समान अंक मिले, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जाएगा, जो आयु में वरिष्ठ हो।

17. न्याय क्षेत्र/अधिकार :-

किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर होगा।

(डॉ. ओ. पी. पाठक)
आयुक्त,
आर्थिक एवं सांख्यिकी,
मध्यप्रदेश

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :-

आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसिलिंग/प्रवेश के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

2.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ मूल जाति प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्कैन प्रति मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.2 स्क्रूटनी/आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :-

(i) अभ्यर्थी का फोटो	(ii) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(iii) श्रेणी	(iv) संवर्ग
(v) मूल निवासी	(vi) पाठ्यक्रम का विवरण जिसमें परीक्षा देना है
(vii) लिंग	(viii) जन्मतिथि

उपरोक्त जानकारी रिक्त, गलत या अपूर्ण की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा।

2.3 निरस्त होने के कारणों की सूचना:-

- (i) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र में आवेदक को त्रुटि सुधार का कोई भी अवसर नहीं दिया जायेगा।
- (ii) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन-पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.4 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन-पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश-पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट :- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत त्रुटि के दृष्टिगोचर होने पर मण्डल उसे रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.5 परीक्षा शहर :-

यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी :- भोपाल ।

2.6 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

प्रवेश-पत्र, काली स्याही का बॉलप्वाइंट पेन।

2.7 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.8 परीक्षा के विषय एवं प्रश्न-पत्र :-

परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा तथा प्रश्न-पत्र में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.9 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि सीट पर, सीट के निकट, कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछनीय सामग्री, कोई पुस्तक या कागज आदि नहीं है। इनका होना अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना माना जाएगा एवं तदनुसार दण्डनीय होगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना, उनकी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से इन्हें बदलना, कक्ष में बोलना या बताना आदि अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा एवं UFM के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे बिना किसी अन्य सुनवाई के उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए, जो मंडल उचित समझे, मंडल की सभी परीक्षाओं से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

2.10 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :- परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशांसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना इस प्रकार होगी :-

$$\frac{81 \times 100}{(100 - 2)} = 82.65$$

2.11 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्र घोषित अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर देखा सकता है। परीक्षा परिणाम मंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में परीक्षा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

2.13 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 डुप्लीकेट अंकसूची :

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.13 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

2.15 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.16 क्षेत्राधिकार :-

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।